एस.एस. निज्जर जे. और निर्मल यादव जे., के समक्ष

सुंदरा देवी - याचिकर्ता

बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य - उत्तरदाताओ

सी डब्लू पी 2004 की संख्या 10028

25 अगस्त, 2005

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 226–याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु, जो एच.एस.ई.बी. के साथ नियमित एएलएम के रूप में कार्यरत थे - पारिवारिक पेंशन के लिए दावा - अस्वीकृति-पारिवारिक पेंशन का अनुदान - पेंशन की पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक सेवा पेंशन योजना की धारा 4(i) के तहत 5 वर्ष है - दिनांक 28 सितंबर, 1979 की अधिसूचना द्वारा पांच वर्ष की योग्यता अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया - याचिकाकर्ता के पति ने 4 साल और 1 दिन की सेवा प्रदान की - उच्च न्यायालय ने माना कि एक वर्ष से कम की सेवा भी पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए पर्याप्त है - याचिका स्वीकार की गई प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को बकाया सहित पारिवारिक पेंशन जारी करने का निर्देश दिया।

अभिनिर्णित, पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के नियम 4 के तहत आवश्यक न्यूनतम सेवा एक वर्ष की है। सावित्री देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1996 (2) आरएसजे 854 के मामले में, योजना की व्याख्या डिवीजन बेंच द्वारा की गई है और यह माना गया है कि पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए एक वर्ष से कम की सेवा भी पर्याप्त है। उत्तरदाता निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को बकाया राशि के साथ पारिवारिक पेंशन जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 5 और 7)

जे एस मणिपुर, अधिवक्ता, याचिकर्ता के लिये
आलोक जैन, अधिवक्ता, उत्तरदाताओ के लिये

निर्णय

एस.एस.निज्जर जे. (मौखिक)

(1) पक्षों के वकील की सहमति से, रिट याचिका को प्रस्ताव चरण में ही अंतिम निपटान के लिए ले जाया जाता है।

(2) याचिकाकर्ता के पति 1 जून, 1967 से कार्य प्रभार के आधार पर हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (अब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) में कार्यरत थे। उनकी सेवाएं 27 जून, 1970 को नियमित कर दी गईं। उनकी मृत्यु के समय, वह नियमित एएलएम के रूप में काम कर रहा था। याचिकाकर्ता ने पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्रस्तुत किया, लेकिन उसे मंजूरी नहीं दी गई। अंततः, याचिकाकर्ता ने 7 नवंबर, 2003 को कानूनी नोटिस भेजा। जब उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो याचिकाकर्ता ने 2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 283 दायर किया, जिसे इस न्यायालय ने 9 जनवरी, 2004 के आदेश द्वारा निपटा दिया। उत्तरदाताओं को कानूनी नोटिस को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और चार महीने की अवधि के भीतर उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार किया जाना है, तो उत्तरदाताओं को एक मौखिक आदेश पारित करना चाहिए और याचिकाकर्ता को इसकी सूचना देनी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में,

उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए 27 अप्रैल, 2004 को एक निर्णय सुनाया। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के समय, मृतक की कुल सेवा चार वर्ष और एक दिन यानी 5 वर्ष से कम थी। सिविल सेवा नियम खंड II के तहत पारिवारिक पेंशन देने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा पांच वर्ष है। उत्तरदाताओं ने **सावित्री देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (1)** और **श्रीमती शर्मिला देवी बनाम यूएचबीवीएल और अन्य, (2)** के मामलों में पारित इस न्यायालय के निर्णयों को अलग किया है जो इस आधार पर कि प्रासंगिक समय में, निर्देशों के तहत, आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा केवल एक वर्ष की थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मामला पूरी तरह से इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों द्वारा कवर किया गया है। विद्वान वकील ने 8 अप्रैल, 2005 को दिए गए 2003 के सीडब्ल्यूपी नंबर 12449 में पारित इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा किया है।

(3) उत्तरदाताओं ने एक लिखित बयान दायर किया है। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैराग्राफ 2 में दिए गए सेवा विवरण से इनकार नहीं किया है। यह कहा गया है कि वर्ष 1976 में याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के समय, पेंशन योजना के खंड 4 (i) के तहत, पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा पांच वर्ष की सेवा थी। 28 सितंबर, 1979 की अधिसूचना द्वारा पांच वर्ष की अर्हक अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया। इसके बाद, 4 फरवरी, 1992 की अधिसूचना के द्वारा, यहां तक कि कार्य प्रभारित कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को भी सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गणना योग्य बना दिया गया। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जनवरी, 1978 में अनुकंपा के आधार पर चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए, वह किसी भी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी।

(4) हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और पेपर-बुक का अवलोकन किया है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार है। उपरोक्त योजना के नियम 4 के तहत, आवश्यक न्यूनतम सेवा एक वर्ष की है। **श्रीमती सावित्री देवी (सुप्रा),** के मामले में इस योजना की व्याख्या डिवीजन बेंच द्वारा की गई है और यह माना गया है कि पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए एक वर्ष से कम की सेवा भी पर्याप्त है। त्तरदाता निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य हैं। **शर्मिला देवी (सुप्रा)** मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा उपरोक्त निर्णय का पालन किया गया है। **श्रीमती सावित्री देवी (सुप्रा),** में दिए गए फैसले में इसे इस प्रकार माना गया है: -

> *"3. उपर्युक्त प्रावधान का अधिदेश यह प्रतीत होता है कि यदि सरकारी सेवक सेवा में प्रवेश के समय फिटनेस का मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो एक वर्ष से कम समय के भीतर उसकी मृत्यु होने पर भी परिवार पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।"*

(6) श्रीमती सावित्री देवी (सुप्रा) में दिए गए उपरोक्त फैसले के बाद, इस न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें हम में से एक (एस.एस. निज्जर, जे.) सदस्य थे, ने 2003 के सीडब्ल्यूपी नंबर 12449 (जगवती और अन्य बनाम) को भी अनुमति दे दी है। हरियाणा राज्य और अन्य)। हमारी राय में, उपरोक्त निर्णय से यह मामला स्पष्ट रूप से कवर हो जाता है।

(7) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणपत्र प्रति प्राप्त होने के तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को बकाया राशि के साथ पारिवारिक पेंशन जारी करें। कोई लागत नहीं।

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा